

सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के नरिणय पर अंतरमि रोक लगाने से कथिा इनकार

चरचा में क्यौं?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने पटना उच्च न्यायालय के उस नरिणय पर रोक लगाने से इनकार कर दथिा, जसिमें बहिर में [अनुसूचति जात/अनुसूचति जनजात](#), [पछिडा वर्ग](#) और अत्यंत पछिडा वर्ग के लथि लोक नथिोजन तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के नरिणय को रद्द कर दथिा गया था ।

मुख्य बढि

- पटना उच्च न्यायालय ने बहिर में संशोधति [आरक्षण कानून](#) को रद्द कर दथिा, जसिके तहत दलतियों, आदवासियों और पछिडे वर्गों के लथि कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दथिा गया था । न्यायालय ने संशोधनों को संवधान के "अधिकारातीत" (Ultra Vires), "वधिकी दृष्टि से दोषपूर्ण" (Bad in Law) और "समता खंड का उल्लंघन" करार दथिा ।
 - ये संशोधन एक जात सर्वेक्षण के बाद कथि गए थे, जसिमें अन्य पछिडा वर्ग और अत्यंत पछिडा वर्ग का प्रतशित राज्य की कुल जनसंख्या का 63% था जबकि अनुसूचति जात एवं अनुसूचति जनजात का प्रतशित 21% से अधिक था ।
- आरक्षण [कोटा](#) बढ़ाए जाने के बाद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लथि आरक्षण सहति राज्य में कुल 75% सीटें आरक्षति हुई ।

आरक्षण

- [आरक्षण](#), नश्चयातमक वधिद का एक रूप है, जसि हाशियाई वर्गों में समता को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक तथा दीर्घकालिक अन्याय से संरक्षण प्रदान करने के लथि नरिपति कथिा गया है ।
- यह रोजगार और शक्ति तक पहुँच में समाज के हाशियाई वर्गों को अधमिनी सुवधि प्रदान करता है ।
- इसे मूल रूप से वर्षों जारी भेदभाव को समाप्त करने और वंचति समूहों को बढ़ावा देने के लथि वकिसति कथिा गया था ।